न्यायालय अवर न्यायाधीश,बनमनखी (पूर्णियाँ)

स्वत्व वाद संख्या–327 / 1998

05.02 .2020

वादी की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी सं0–17 की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक–03.02.2020 अन्तर्गत आदेश–VI नियम 17 C.P.C के आवेदन तथा प्रतिवादी के दिनांक–04.02.2020 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक–03.02.2020 के आवेदन के आलोक मे कथन किये है कि अभिलेख के अवलोकन से प्रतित हुआ कि वाद में वादी के बहन को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वाद–पत्र में संशोधन करना आवश्यक है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि नथन राय अपने पीछे एक पुत्र देवनंदन राय एवं दो पुत्री दुलारी देवी एवं द्रौपदी देवी को छोड़कर मर गये है। दुलारी देवी एवं द्रौपदी देवी को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है, उसी तरह सोती राय अपने पीछे दो पुत्र एक पुत्री यशोधा देवी को छोड़कर मरे हैं। यशोधा देवी भी अपने मृतक पुत्र शैलेन्द्र यादव की विधवा पत्नी मीणा देवी एवं एक पुत्र गौरव कुमार को छोड़कर मरे है। मीरा देवी एवं मीणा देवी, गौरव कुमार को वाद में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। स्व0 फेकन राय दो पुत्र को छोड़कर मरे जिसमें एक पुत्र पुरन यादव को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि दुलारी देवी, द्रौपदी देवी, मीरा देवी, मीणा देवी, गौरव कुमार एवं पुरन यादव को क्रमशः प्रतिवादी सं0–18–23 बनाने की अनुमति दी जाय।

प्रतिवादी सं0–17 के विद्वान अधिवक्ता ने वादी के उक्त आवेदन का विरोध करते हुए कथन किये है कि वादी के द्वारा वाद–पत्र में दिये गये वंशावली गलत है। वादी के द्वारा जान बुझकर वादी के चाचा स्व0 योगेन्द्र यादव की विधवा निःसंतान पत्नी उत्तम देवी को वंशावली में नही दर्शाया गया है। वाद–पत्र में स्व0 भरोसी राय को पाँच पुत्र दर्शाया गया है जबकि भरोसी राय को तीन पुत्र है। वादी द्वारा अपने आवेदन में यह नही दर्शाया गया है कि किस तिथि को किस पक्षकार का मृत्यु हुई है। अतः वादी के आवेदन को खारिज किया जाए। शेष प्रतिवादी सुनवाई हेतु प्रस्तुत नहीं हुए।

न्यायालय अवर न्यायाधीश,बनमनखी (पूर्णियाँ)

लगातार

05.02.2020

स्वत्व वाद संख्या–327 / 1998

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से प्रतित होता है कि वादी के दिनांक–03.02. 2020 का आवेदन शपथ–पत्र द्वारा समर्थित है। प्रतिवादी के द्वारा कहा गया है कि वादी अपने आवेदन में पक्षकार के मृत्यु की तिथि अंकित नहीं किया है परन्तु प्रतिवादी के द्वारा पक्षकार के संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। जहाँ तक वाद–पत्र में गलत तथ्त का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रतिवादी उचित आवेदन दे सकते है। न्यायहित में वादी के दिनांक–03.02.2020 के आवेदन को स्वीकार किया जाता है, तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि वादी समय सीमा के अंदर आवेदन वर्णित प्रस्तावित संशोधन को वाद–पत्र में अंकित करते हुए नये प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु Requisites दाखिल करें।

दिनांक–06.02.2020 वास्ते वाद–पत्र में संशोधन करने हेतु।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी,(पूर्णियाँ)